

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 103]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 19, 1972/ माघ 30, 1893

No. 103]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 19, 1972/ MAGHA 30, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February 1972

S.O. 145(E)/IDRA/29B/72—Whereas the Central Government is of the opinion that having regard to the stage of development of the scheduled industries specified in the Schedule to this Notification, it would not be in the public interest to apply the provisions of clause (d) of sub-section (1) of section 13 of the Industries (Development and Regulation) Act 1951 (65 of 1951), to the said scheduled industries;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development, No. S.O. 4(E)/IDRA/29B/71/1 dated the 3rd January, 1972, the Central Government hereby exempts from the operation of clause (d) of sub-section (1) of section 13 of the said Act and the rules made thereunder, all industrial undertakings registered under the said Act or in respect of which any licence or permission has been issued under that Act, and pertaining to the scheduled industries specified in the Schedule to this Notification, to the following extent, namely:—

- (a) in respect of industrial undertakings which have been licensed or registered under the Act specifically on the basis of single or double shift working, to the extent of production obtainable by maximum utilisation of their licensed or registered capacity;

- (b) in respect of other industrial undertakings which had commenced production on or before the first day of January, 1972, to the extent of an additional one hundred per cent of the existing licensed or registered capacity, as the case may be;

Provided that no such industrial undertaking shall be eligible for exemption,—

- (i) if it belongs to or is controlled by any of the Larger Industrial Houses, as specified in the list at Appendix II-A(1) of the report of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee, as amended by the Central Government from time to time or
- (ii) if it is a foreign company or a branch or subsidiary of a foreign company or
- (iii) if the industrial undertaking is engaged in industries reserved for the small scale sector as listed in Schedule II to the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development), No. S.O. 713/IDRA/29B/70/1, dated the 19th February, 1970, as amended from time to time or
- (iv) if it requires additional machinery (except minor balancing equipment procured indigenously) whether indigenous or imported; or
- (v) if the industrial undertaking is engaged in an industry other than one of the industries listed in the Schedule to this Notification.

2. This notification is in addition to, and not in derogation of anything contained in the following notifications of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development), namely:—

- (i) No. S. O. 713/IDRA/29B/70/1 dated the 19th February, 1970, as amended from time to time, in so far as the said notification relates to substantial expansion of industrial undertakings, and
- (ii) No. S. O. 912/IDRA/29B/70/3 dated the 28th February, 1970, as amended from time to time.

SCHEDULE

1. Motor Cycles.
2. Bicycles.
3. Mopeds.
4. Agricultural Tractors.
5. Agriculture Machinery & Implements.
6. Pumps and compressors.
7. Fertilizers.
8. Pesticides.
9. Basic Metals—Iron & Steel, Copper, Aluminium, Zinc and Lead.
10. Industrial & Mining Machinery.
11. Iron & Steel Castings, Forgings, Pipes & Structures.
12. Internal Combustion Engines.
13. Machine tools and Accessories.
14. Workshop machinery & equipment other than Machine Tools.
15. Small tools including cutting tools, Power Tools, and other workshop tools.
16. Coated and bonded abrasives and polishing wheels.
17. Industrial Furnaces.

18. Welding electrodes.
19. Ball and roller bearings.
20. Transformers, Switchgears, Motors, Generators, Power Capacitors, Rectifiers, Relays and Electric Stampings.
21. Electrical Cables & Wires.
22. Storage Batteries, Dry Batteries.
23. Electronic Components.
24. Construction & Earth Moving Equipment.
25. Cranes & Hoist Blocks.
26. Industrial Fasteners.
27. Wire Ropes.
28. Scientific & Industrial Instruments.
29. Cement.
30. Organic & Inorganic Heavy Chemicals.
31. Fine Chemicals.
32. Pulp, Paper and Newsprint.
33. Synthetic rubber.
34. Tyres and Tubes.
35. Industrial Explosives.
36. Industrial Gases.
37. Drugs.
38. Medical & Surgical Equipment and Appliances.
39. Electro-medical & X-ray equipment.
40. Refractories, Fire Bricks and Insulators.
41. Commercial Vehicles including Jeeps & Three Wheelers.
42. Automobile Ancillaries.
43. Trawlers, Dredgers and Fishing Boats.
44. Optical and Laboratory Glass and Glass Wool.
45. Jute Textiles.
46. Canned and Preserved Fish.
47. Sanitary Cans.
48. Paints & Varnishes and Enamels.
49. Man-made Fibres.
50. Telecommunications Equipment.
51. Wagons.
52. Industrial Refrigeration Equipment.
53. Sugar.
54. Cotton Textiles.

[No. 10/38/Lic. Pol./68.]

S. K. SARGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1972

का०आ० 145(अ)/आई०डी०आर०ए०/29बी/72/1.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूचित उद्योगों के विकास में प्रक्रम को ध्यान में रखते हुए, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के उपबन्धों को उक्त अनुसूचित उद्योगों पर लागू करना लोक हित में नहीं होगा ;

अतः, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29 ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 4(ई)/आई०डी०आर०ए०/29ख/71/1, तारीख 3 फरवरी, 1972 को अधिकांत करते हुये केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत उपकरणों का उन उपकरणों को जिसकी बाबत उस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा जारी की गई हो, और जो इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूचित उद्योगों से सम्बन्धित हैं, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन बनाये गये नियमों के प्रवर्तन से निम्नलिखित सीमा तक एतद्द्वारा छूट देती है, अर्थात् :—

- (क) उप-औद्योगिक उपक्रमों की बाबत जिन्हें विनिर्दिष्ट या एकल या दोहरी पारी कार्यकरण के आधार पर अधिनियम के अन्तर्गत अधीन अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकृत किया गया है, उनकी अनुज्ञप्त या रजिस्ट्रीकृत क्षमता के अधिकतम उपयोग से अभिप्राय उत्पादन की सीमा तक ;
- (ख) अन्य उपक्रमों की बाबत जिन्होंने जनवरी, 1972 के प्रथम दिन को या पूर्व उत्पादन प्रारम्भ किया हो, यथास्थिति विद्यमान अनुज्ञप्त या रजिस्ट्रीकृत क्षमता के अतिरिक्त एक सौ प्रतिशत तक की सीमा तक ;

परन्तु कोई ऐसा औद्योगिक उपक्रम छूट के लिये पात्र नहीं होगा —

- (i) यदि सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित औद्योगिक अनुज्ञप्त नीति जांच समिति की रिपोर्ट के परिशिष्ट II—क(1) की सूची में विनिर्दिष्ट किये गये किसी बड़े औद्योगिक गृह की है या उसके द्वारा नियंत्रित है ; या
- (ii) यदि वह विदेशी कंपनी है या विदेशी कंपनी की शाखा या सहायकी है, या
- (iii) यदि औद्योगिक उपक्रम उन उद्योगों में लगा हुआ है जो भारत सरकार के भूत-पूर्व औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कंपनी कार्य-मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं० का० आ० 713/आई०डी०आर०ए०/29ख/70/1, तारीख 19 फरवरी, 1970 की अनुसूची 2 में सूचीबद्ध रूप में लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित हैं, या
- (iv) यदि इसके लिये अतिरिक्त मर्यादनी कपेक्षित है (देश में ही अभिप्राय लघु-उत्पादन-उपस्कर के स्थानों) जो चाहे देश में ही या आयातित, या
- (v) यदि औद्योगिक उपक्रम इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध उद्योगों में किसी किसी उद्योग में लगा है ।

2 यह अधिसूचना भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में अन्तर्दिष्ट किसी बात के प्रतिरक्षण है, और उनका प्रयोग नहीं करनी, अर्थात् :—

- (i) समय-समय पर यथा-संशोधित का० प्रा० सं० 713/आई० डी० आर० ए०/29ख/70/1, तारीख 19 फरवरी, 1970, जहाँ तक उक्त अधिसूचना का सम्बन्ध औद्योगिक उपक्रमों के सारभूत विस्तार से है, और
- (ii) समय-समय पर यथा-संशोधित का० प्रा० सं० 912/आई० डी० आर० ए०/29ख/70/3, तारीख 28 फरवरी, 1970।

अनुसूची

1. मोटर सार्दकिल
2. सार्दकिल
3. मोपद
4. कृषि ट्रैक्टर
5. कृषि मशीनरी तथा उपकरण
6. पम्प और कम्प्रेसर
7. उर्वरक
8. पेन्टीमाइड
9. रत्न शान, मोह-इस्पात, ताम्र, अल्युमीनियम, जस्ता और सीसा।
10. औद्योगिक और खनन मशीनरी
11. लोह और इस्पात, इलाई, गढ़ाई, पाइप और संरचनाएं
12. अन्तर्दहन इंजिन
13. मशीन प्रीजार् और उपसाधन
14. कर्मशाला और मशीन प्रीजारों में भिन्न उपकरण
15. ऊर्ध्व पञ्चम अन्तर्गत पाटा के प्रीजार, शक्ति प्रीजार और अन्य कर्मशाला प्रीजार
16. विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के वाहनों के वाहक
17. औद्योगिक मशीन
18. वेल्डिंग इन्स्ट्रुमेंट
19. वायु प्रीजर रोगर बेपरिंग
20. ट्रांसफार्मर, स्विचगियर, पोटार, जलिक, शक्ति वाहिक, परिशोधक, रिसे और विद्युत स्टोपिंग
21. बैटन केबिल प्रीजर

22. स्टोरेज बैटरी, गृष्क बैटरी
23. इलेक्ट्रानिक संघटक
24. सन्निर्माण एण्ड भू-संचलन उपस्कर
25. श्रोन और होइस्ट ब्लाक
26. औद्योगिक कीलक
27. तार की रस्सियां
28. वैज्ञानिक और औद्योगिक उपकरण
29. सीमेंट
30. कार्बनिक और अकार्बनिक भारी रसायन
31. उत्तम रसायन
32. पल्प, कागज और समाचारपत्र का कागज
33. संश्लिष्ट रबर
34. टायर और ट्यूबें
35. औद्योगिक विस्फोटक
36. औद्योगिक नैसें
37. औषध
38. चिकित्सीय और शल्य चिकित्सीय उपस्कर और साधित्र
39. वैद्युत-चिकित्सीय और एकसरे उपस्कर
40. उष्ण सह, तापसह इंट, विसंवाहक
41. वाणिज्यिक गाडिया जिम्के अन्तर्गत जीप, थ्री व्हीलर भी है
42. आटोमोबाइल अनुषंगी
43. ट्रॉलर, ड्रैगर और मत्स्य लोकाएं
44. प्राप्तीकल और प्रयोगशाला शीशा और शीशावृत
45. पटसन वस्त्र
46. शिक्काबंद और परिरक्षित मत्स्य
47. स्वच्छता डिब्बे
48. रंग और प्रोगन तथा इनामेल
49. अनुसूच्य-निमित्त देशा
50. कूर-जोकार उपस्कर

51. वैद्यन
52. औद्योगिक प्रशीतन उपस्कर
53. शर्करा
54. सूती वस्त्र

[सं० फा० 10(38)/सिक्त० पोस०/68.]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।

